

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगपुर जिला भीलवाड़ा

राजस्व लोक अदालत : न्याय आपके द्वार केम्प नांदशा

पीठासीन अधिकारी- राजलक्ष्मी गहलोत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 17/2018 प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 एल0आर0एक्ट
अनवान

1. मैरु पिता लेहरू जाट निवासी नांदशा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

---प्रार्थी

बनाम

1. नंदा पिता जीतू बलाई निवासी नांदशा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
2. नानू पिता जीतू बलाई निवासी नांदशा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
3. डालु पिता जीतू बलाई निवासी नांदशा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
4. जगदीश पिता जीतू बलाई निवासी नांदशा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
5. गजानन्द पिता जीतू बलाई निवासी नांदशा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
6. कालु पिता भूरा बलाई निवासी नांदशा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
7. भंवर पिता भूरा बलाई निवासी नांदशा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
8. गोपी पिता हजारी जाट निवासी नांदशा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
9. मांगु पिता हजारी जाट निवासी नांदशा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
10. रामेश्वर पिता रतन जाट निवासी नांदशा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
11. मांगु पिता भूरा लोहार निवासी नांदशा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
12. भैरु पिता कालु लोहार निवासी नांदशा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
13. नर्बदा पत्नि मोहन लोहार निवासी सूरतसिंह जी का खेड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

---विपक्षीगण

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::


निर्णय दिनांक:-14.06.2018

:: आदेश ::

सर्वे में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर ग्राम नांदशा पटवार सहाड़ा, तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 तक की खाता संख्या 430 पर स्थित आराजी संख्या 2938 रकबा 0.058 है0 किस्म चाही II, आराजी संख्या 4902/2936 रकबा 1.33 है0 किस्म चाही I कुल कित्ता 02 रकबा 1.91 है0 मुनि स्थित है। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इत्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी संख्या 01 लगायत 13 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से इसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई।


बाद बहस मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थनापत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111-128 एल0आर0एक्ट को अवलोकन किया जाना उचित प्रतीत होता है।


उप खण्ड अधिकारी
गंगपुर जिला भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या :- 17/2018
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 एल0आर0एक्ट

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम नांदशा पटवार क्षेत्र सहाड़ा, तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा की जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 तक की खाता संख्या 430 पर स्थित आराजी संख्या 2938 रकबा 0.058 है0 किस्म चाही II, आराजी संख्या 4902/2936 रकबा 1.33 है0 किस्म चाही I कुल किता 02 रकबा 1.91 है0 भूमि का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढी की जाने के आदेश किये जाते हैं, बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलअन्दाजी किये एवं दोनों पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी की जावें। प्रार्थी बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 700/- (सात सौ रु. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 700/- (सात सौ रु. मात्र) सम्बन्धित भु-अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थीगण अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14.06.2018 कोराजस्व लोक अदालत केम्प नांदशा में सुनाया गया।


(राजलक्ष्मी गहलोत)
उपखण्ड अभिकारी
गंगापुर (भीलवाडा)